


आप सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस हार्दिक शुभकामनाएं



बल्लू श्रीवास्तव
वरिष्ठ भाजपा नेता - सिद्धार्थनगर



पंकज सिंह
भाजपा मण्डल प्रभारी उत्का, सि.नगर



पप्पू सिंह
वरिष्ठ समाजसेवी, सिद्धार्थनगर



कौशलेन्द्र गिपाठी
पूर्व ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि, जोगिया



आपका कपूर
आपका अपना
ग्राम प्रधान-हरैया, वि.ख.-जोगिया



जमील अहमद
आपका अपना
ग्राम प्रधान-दोहनी, वि.ख.-जोगिया



मनोज कुमार
आपका अपना
ग्राम प्रधान-भुतहिया, वि.ख.-जोगिया



महमूद अली
आपका अपना
ग्राम पंचायत अधिकारी-खेसरहा



शिव शंकर पाण्डे
आपका अपना
ग्राम प्रधान-करकोली, करमा



विकास सिंह
आपका अपना
ग्राम प्रधान भरकवाह



पिंजरा राहें पटेल
जिला पंचायत सदस्य-सरावा
जिलाध्यक्ष सपा (सोबमद)



पिंजरा राहें पटेल
जिला पंचायत सदस्य-सरावा
जिलाध्यक्ष सपा (सोबमद)
विधानसभा अध्यक्ष घोरावल-सपा

सम्पादकीय

निस्संदेह कोर्ट का यह
कदम नैसर्जिक न्याय के
अनुसार ही राजनीति व
अपराध के अपवित्र
गठबंधन को रोकने में
सहायक होगा। हाल के
दिनों में कई राज्य सरकारों
ने अपने सांसदों व विद्यु
आयकों के खिलाफ दर्ज
मामले वापस लिये हैं।
निस्संदेह कई मामले ...

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिये एक आदेश में देश के लोकतंत्र की शुचिता के लिये बड़ा व सख्त कदम उठाया है। अब जागरूक जनता व चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि पाक-साफ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिये सजग-सतर्क रहकर कदम उठाये। कोर्ट ने मंगलवार को पिछले बिहार चुनाव के दौरान दागी उम्मीदवारों के बाबत अपने पिछले निर्देशानुसार जानकारी समय रहते सार्वजनिक न करने पर राजनीतिक दलों पर नकद जुर्माना लगाया। चुनावों के दौरान उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास सार्वजनिक करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन न करने पर भाजपा व कांग्रेस पर एक-एक लाख रुपये तथा एनसीपी व सीपीएम पर पांच-पांच लाख का जुर्माना लगाया गया। न्यायमूर्ति फली नरीमन और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली खड़पीठ ने विभिन्न दलों पर आदेश न मानने पर दर्ज अवमानना की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। इस बाबत फरवरी, 2020 में कोर्ट ने दलों को यह बताने का निर्देश दिया था कि दागियों को चुनाव में खड़ा करना क्यों जरूरी है। साथ ही दागियों पर दर्ज मुकदमों का विवरण पार्टी वेबसाइट पर डालना जरूरी था। इस कदम को मतदाताओं के जानने के अधिकार को प्रभावी व सार्थक बनाने के लिए जरूरी बताया गया था। अब अदालत ने जरूरी कर दिया है कि दलों की वेबसाइट के होमपेज पर इआपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवार्स्य कैष्ण डाला जाये। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह मतदाता जागरूकता अभियान चलाये। इसके लिये एक मोबाइल एप बनाने को कहा ताकि मतदाता दागी उम्मीदवारों का अतीत अपने मोबाइल पर आसानी से जान सकें। साथ ही एक सेल बनाने को भी कहा जो अदालत के फैसले के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। सेल के जरिये

ਦਾਗੀ ਨਈ ਮੰਜ਼ੂਰ

उल्लंघन की जानकारी कोर्ट को देने को कहा गया है ताकि अवमानना की कार्रवाई हो सके। शीर्ष अदालत ने मतदाता जागरूकता के लिये सोशल मीडिया, वेबसाइटों, टीवी विज्ञापनों, प्राइम टाइम डिब्बेट, पैम्फलेट व विज्ञापन के जरिये अभियान चलाने को कहा। इसके अतिरिक्त अदालत ने चुनाव आयोग को चार सप्ताह में एक फंड बनाने के भी निर्देश दिये, जिसमें अदालत की अवमानना पर लगने वाले जुर्माने की रकम को डाला जा सके। शीर्ष अदालत ने यह भी आदेश दिया कि दागी उम्मीदवारों के बारे में सूचना राजनीतिक दल 48 घंटों के भीतर जारी करें, न कि नामांकन दाखिल करने की तारीख से दो सप्ताह पहले। साथ ही चुनाव आयोग से कहा कि न्यायालय के निर्देश का पालन न करने का मामला सङ्ज्ञना में लायें ताकि अदालत की अवमानना के तहत कार्रवाई हो सके। निस्संदेह, कोर्ट की पहल एक सार्थक कदम है लेकिन आर्थिक दंड चुकाना साधन संपन्न राजनीतिक दलों के लिये बायें हाथ का खेल है। कोर्ट को आदेशों का उल्लंघन करने पर सख्त दंड का प्रावधान रखना चाहिए। अब नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे कोर्ट व आयोग की पहल पर विवेकशील पहल करें। दरअसल, दागी जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलों के लिये परेशानी नहीं अतिरिक्त योग्यता के बाहक बने हुए हैं। यही वजह है कि जहां देश में वर्ष 2004 में 24 फीसदी सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे, वहीं एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में इनकी संख्या 43 फीसदी हो गई है। दूसरी ओर शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल अपने सांसदों व विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले हाईकोर्ट की अनुमति के बाहर वापस नहीं ले सकते।

कूट-रीति से इम्यूनिटी बढ़ाने की नीति

शमीम शर्मा

एक डॉक्टर सहेली ने मुझे कूट-रीति के बारे में नवीनतम जानकारी दी है। उनका कहना है कि प्राचीन समय में लोग उतने बीमार नहीं होते थे, जितने आजकल होते हैं क्योंकि पहले कूटने की रीत थी, जिससे परिवार के सभी लोगों की इम्म्यूनिटी पॉवर मजबूत रहती थी। जब से कूटना छोड़ा है तब से हम सब को बीमारियों ने धेर लिया है। सर्वविदित है कि पहले खेत से अनाज को कूट कर घर लाया जाता था। धान को भी घर पर कूटकर चावल निकालते थे। रसोई के सभी मसाले भी कूटे जाते थे और सर्दियों में तो अदरक की खूब ऐसी की तैसी होती थी। चटनी कूटना—पीसना आम था। इतना ही नहीं, घरों में कपड़े भी कट—कट कर धोये जाते थे।

कभी—कभार जब बड़ा भाई छोटे भाई को कूटता था तो कूटने पर छोटे वाला मां से शिकायत करता। शिकायत सुनकर मां बड़े वाले को चप्पल या थापी से कूटने में विलंब नहीं करती थी। इसके अलावा कोई बच्चा गली—मोहल्ले में जरा—सा भी नुकसान कर देता तो पिताजी जम कर कूटते थे। यानी कुल मिलाकर घर—परिवार में कूटने का काम निर्बाध गति से चलता ही रहता था। कूटने वाले कट—कर्म को परी तरह नैतिक और धार्मिक कर्त्य जैसा गरिमामय समझते थे।

स्कूल में ऊँचूक हो जाने पर या कटवां पहाड़े सुनाने में गलती हो जाने पर मास्टरजी कूटते थे और कभी आधी छुट्टी में खेलते—कूटते—फांदते समय यदि कहीं चोट लग जाती तो फिर पिता जी कूटते थे। गनीमत यही है कि इस कूट—पीट में बीमारी पास नहीं फटकती थी। इतना ही नहीं यदि सर्दियों में बच्चा नहाने से इनकार करता तो मां पहले तो उसे कूट कर उसकी इम्यूनिटी पॉवर में इजाफा करती थी और उसके बाद स्नान—संस्कार संपन्न करती।

अब समय बदल गया है। एक बच्चे ने अपनी मम्मी से पानी मांगा तो जवाब मिलाकृछुद उठकर पी ले। बच्चे ने फिर पानी मांगा। मां को गुस्सा आ गया और वह कहने लगीकृब अगर पानी मांगा तो खींच के थप्पड़ मारूंगी। बच्चा कहने लगाकठीक है मम्मी। जब थप्पड़ मारने आओ तो पानी लेती आना।

ओबीसी की संख्या या प्रतिशत पता कर लेने से देश और समाज को क्या फायदा हो जाएगा यदि ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने के बाद संख्या घट गई तो क्या ओबीसी को प्रदत्त आरक्षण के प्रतिशत को कम कर दिया जाएगा या ओबीसी आबादी बढ़ने की दशा में ओबीसी के आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ा दिया जाएगा जातिगत जनगणना से जातिगत राजनीति नहीं बढ़ जाएगी आज गरीबों की संख्या की गणना ...

गरीब को न्याय व सम्मान हो लक्ष्य

विवेक सिंह

गरीबी की कोई जाति नहीं होती परंतु देश में जाति पर आधारित जनगणना की मांग लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा उठाई जा रही है। जातिगत जनगणना की मांग कोई नयी नहीं है। जातिगत जनगणना की मांग विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा 1947 से लगातार की जा रही है। 1951 में तत्कालीन गृहमंत्री सरदार बल्लभ बाई पटेल ने जातिगत जनगणना की मांग एक सिरे से खारिज करते हुए ऐसी जनगणना को सामाजिक सौहार्द के लिए खतरनाक बताया था। क्या आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं सामाजिक न्याय और पिछड़ों के उत्थान के लिए अनेक अन्य रास्ते सरकारों के पास उपलब्ध हैं फिर जातिगत जनगणना पर इतना जोर आखिर क्यों दिया जा रहा है जातिगत जनगणना देश की सामाजिक और राजनीतिक हालात को देखते हुए उचित प्रतीत नहीं होती। जातिगत जनगणना के आंकड़ों से राजनीतिक दल राजनीतिक समीकरण साधने का प्रयास करेंगे, पिछड़ों के विकास और सामाजिक न्याय का उद्देश्य गौण हो जायेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा गया, जिसमें जातिगत जनगणना की मांग की गई है। तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार की मांग का समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी शुरू से ही जातिगत जनगणना के पक्ष में है। महाराष्ट्र में सन्तारुद

डी में हई जनगणना है

1931 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति (एससी) के लोगों की संख्या 15.5 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति (एसटी) 7 प्रतिशत और अन्य पिछड़ी जातियाँ (ओबीसी) की संख्या 52 प्रतिशत थी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1931 के जनगणना के समय पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के ही हिस्से थे, देश की जनसंख्या 27 करोड़ थी जो आज 140 करोड़ है। मंडल कमीशन ने 1931 की जनगणना को आधार मानते हुए ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने लागू किया। वर्तमान में 1931 के जनगणना के अनुसार ही ओबीसी को 27 प्रतिशत, एससी को 15 प्रतिशत और एसटी को 7.5 प्रतिशत (कुल 49.5 प्रतिशत) आरक्षण दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी भी हाल में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जा सकता। ऐसी स्थिति में पिछड़ों की संख्या जानने से क्या हासिल होगा। देश की आजादी के उपरांत 1951 से लेकर 2011 तक संपन्न हुई कोई भी जनगणना जाति आधारित नहीं थी। 1951 से यह परंपरा बन गई कि जनगणना में केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को शामिल किया जाएगा और इनकी संख्या की गणना की जाएगी। एससी और एसटी को छोड़कर किसी और

127वां संविधान संशोधन विधेयक 105 वश संशोधन के रूप में पारित हो जायेगा, इसके उपरांत राज्य सरकारों द्वारा अरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने की मांग तेज की जायेगी। संविधान निर्माताओं का इरादा आरक्षण को अनंतकाल तक लागू करने का नहीं था, मगर समाज में व्याप्त जाति असंतुलन को हटाने के लिए सरकारों में गंभीर चिंतन एवं प्रयास की रही है, डसलिए अनुसचित...

डॉ. सुभाष चंद्राकर
केन्द्र सरकार का 127वां संविधान विधोयक—2021 संसद के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस बिल के खिलाफ एक भी वोट का नहीं पड़ना, इस बात का संकेत है, कि सभी राजनीतिक दल इस विषय पर केन्द्र सरकार के साथ खड़े हैं। लोकसभा और राज्यसभा में जिस शांति के साथ विपक्ष ने इस बिल के समर्थन किया, उससे केन्द्र राज्य संबंधों को समझने एवं जन आकांक्षाओं का सम्मान करने का भाव सभी राजनीतिक दलों में परिलक्षित हो रहा है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले कहते थे कि, भारतीय समाज को कुठां से बचाने के लिए आरक्षण जरूरी है। इस बात को डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा में आगे बढ़ाया, व तत्माम बहस के उपरांत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की सहमति बनी, संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 15 में आरक्षण का जिक्र है। अनुसूचित जाति को 15 प्रतिशत तथा

सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में 10 वर्षों के लिए दिया गया था व 10 वर्षों के बाद हालात की समीक्षा करने की बात तय की गयी थी। पिछड़ी जातियों की सुनवाई सबसे पहले वर्ष 1953 में हुई जब प्रसिद्ध गाधीवादी विचारक दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जो काका कालेलकर के नाम से प्रसिद्ध थे की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया गया। आयोग ने बेहद वैज्ञानिक पद्धति से भारत के विभिन्न राज्यों में आयोग द्वारा प्रस्तावित पिछड़ी जातियों व शासन के पदाधिकारियों द्वारा किसी पिछड़ी जाति समूह की प्राप्त जानकारी के आधार पर व्यापक अध्ययन किया, वर्ष 1901, 1911, 1921 तथा 1931 की जनगणना में जातिवार आंकड़ों का संकलन किया गया था, व वर्ष 1956 में अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) वर्ग के लिए आरक्षण सिफारिश की गयी, जिसे उस समय की सरकार ने अस्वीकार कर दिया था।

वर्ष 1979 में मोरारजीभाई की सरकार ने समाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लिए मंडल आयोग का गठन किया, मंडल आयोग ने 1980 में रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने आरक्षण के मौजूदा कोटा 22 प्रतिशत को बढ़ाकर 49.5 प्रतिशत करने की सिफारिश की तथा पिछड़ी जातियों की 2279 जातियों को चिन्हांकित किया। मण्डल आयोग का रिपोर्ट 10 वर्ष तक धूल खाता रहा। वर्ष 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने मण्डल आयोग की सिफारिश को सरकारी नौकरी में लागू कर दिया।

वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम केन्द्र सरकार में सर्वोच्च-न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से आरक्षण को सही ठहराया परंतु आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत के भीतर रखने का फैसला दिया। परंतु तमिलनाडु में वर्ष 1989 से कुल आरक्षण की सीमा 69 प्रतिशत है जो अभी भी कायम है। अगस्त, 1990 में मण्डल आयोग कि सिफारिश लागू होने के बाद से लगातार केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में आरक्षण प्राप्त करने के लिए जातियों के अधिसूचित करने का कार्य केन्द्र सरकार

ओषधीसी आरक्षण विधेयकः अन्य पिछड़ा कर्ग के सशक्तिकरण में सहायक

ओबीसी आरक्षण हेतु जातियों को अधिसूचित करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता रहा है ।

केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में 123वां संशोधन लाया गया जोकि 102वां संशोधन के रूप में पास हुआ था, व इस संशोधन के द्वारा धारा 366 में 26 सी जोड़ा गया व केन्द्र व राज्य की अलग-अलग ओबीसी सूची बनाने का प्रावधान रखा गया, धारा-ए 338 में 338 बी को जोड़ा गया व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा 342-ए में 1 जोड़ा गया, जिसमें संघ सरकार की नौकरियों हेतु ओबीसी सूची में किसी जाति को अधिसंचित करने का अधि-

का कोई अधिकार नहीं है, केन्द्र या राज्य सरकार की ओबीसी सूची में किसी नई जाति को अधिसूचित करने का अधिकार

सिर्फ राष्ट्रपति की है। इस मामले पर केन्द्र सरकार ने पुर्णविचार याचिका दायर की। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका निरस्त कर दिया। इससे केन्द्र सरकार द्वारा 127वां संविधान संशोधन की भूमिका तैयार हो गई। संसद से 127वां संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गयी है, व शीघ्र ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उपरांत भारत के सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों को विभिन्न जातियों को ओबीसी की सूची में रखने का अधिकार मिल जायेगा। इस बिल के कानून बन

अधिसूचित कर सकेगी ।
इस विधेयक के पारित होने से पूर्व
व्यवस्था में निम्नलिखित परिवर्तन आयेगा—

राज्य सरकारों को अब अपनी ओबीसी सूची को लागू करने से पहले राष्ट्रीय पिछ़ड़ा वर्ग आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी। सभी राज्य सरकारें एवं संघ शासित प्रदेश को ओबीसी सूची बनाने का पूर्ण अधिकार होगा, इसमें केन्द्र सरकार का किसी भी प्रकार से दखल नहीं होगा। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अलग—अलग ओबीसी सूची का निर्माण कर क्रमशः राष्ट्रपति एवं राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। 127वां संविधान संसोधन विध

ये कर्मकाल अपनी जनसंख्या के अनुपात में सब जगह प्रतिनिधित्व नहीं मिल जाता। यह कार्य शासन एवं प्रशासन के कर्णधारों का है वंचित वर्ग का नहीं। लेखक प्राध्यापक, दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर हैं (आलेख में व्यक्त

खुली आयुष्मान कार्ड की पोल, ईलाज के अभाव में कार्ड धारक की मौत

दैनिक बुद्ध का संदेश
कानपुर। मैं गरीबों को मुफ्त शिकायत थी और वह उठ बैठ और अच्छा इलाज मिले इसके लिए सरकार ने जरूरतमंदों के आयुष्मान कार्ड बना कर दे रही हैं। सरकार ने योजना तो लादी लेकिन इसको जमीन पर साकार करने वाले जिम्मेदार शायद गंभीर नहीं होते हैं और ना ही सरकार अपनी योजनाओं को लाने के बाद ये जानने की नहीं पाते थे। इलाज के लिए एक कोशिश करती है कि उसकी निजी डॉक्टर को दिखाया तो उसने योजनाओं का जमीनी स्टर पर अस्पताल में दिखाने की बात कही। शुक्रवार देर रात तककी अस्पताल में दिखाने की बात कही। शुक्रवार देर रात तककी अस्पताल में दिखाने की बात कही। अगर उस मरीज को एमआरआई राम विलास (65) की इलाज के अभाव में भरकर तो हुए मौत हो गई। यह आयुष्मान कार्ड धारक थे। अच्छा इलाज न मिल पाने के लिए इसका इलाज हैलट में हो पाएगा यहां से ले जाओ। जब इलाज के लिए उर्सला से हैलट



को एक महीने से कमर दर्द की इमरजेंसी लेकर पहुंचे तो वहां है और वह अपने घर में बनाई गयी ओपीडी में मरीज को देखें। डॉ.वर्मा से जब फोन पर बात की तो उन्हें बोला कहा कि कलीनिक ले आओ मरीज को और इसी बीच मरीज की मौत हो गई। जब यह बात डॉ.वर्मा को बताई तो उनका कहना था कि सब ऊपर वाले की मर्जी। आपको बता दें हैलट में सब काम सिर्फ़ कागज में ही होता है। अगर उस मरीज को एमआरआई मिल जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। जिस व्यक्ति की मौत हुई है वह बच सकता था लेकिन हैलट अस्पताल में काम करने वालों ने किसी प्रकार की कोशिश नहीं की। शहर में बने पहुंची पुलिस ने लोगों से जरूरी जानकारी जुटाने के बाब शब्द यार अस्पताल में भी यह लोग पर बाबा को लेकर उसके ने देखने के बाद पैथोलॉजी गए और कॉफ़ि हैलट में किसी प्रकार की जांच नहीं हो रही। जब वह लोग जाँच करकर वापस हैलट पहुंचे तो उनको पता है। जब वह लोग जाँच करकर वापस हैलट पहुंचे तो उनको पता हो गयी। मृतक को लेकर दोबारा यहां से ले जाओ। जब लोगों की नजर खेत की तरफ गई तो ग्रामीणों से बातचीत कर हत्या सुरेंद्र सिंहरिया गांव में रिश्ते लास पड़ी देख अवाक रह गए। को संबंध में जरूरी जानकारी अपने पुश्तेनी मकान में अकेले हासिल की। ऐसीपी की तरफ से रहते थे। जबकि पल्ली शिवकुमारी मारी गई थी। खबर मिलते ही टीम ग्रामित कर चोपन पुलिस दोनों बच्चों के साथ ही मातहतों को जल्द खुलासे के निर्देश दिये गये। पल्ली उनकी चोपन बैरियर रिश्त मकान पर को साथ ही मातहतों को जल्द खुलासे के निर्देश दिये गये। पल्ली उनके मकान में रह रही है। हर दूर्दि से मामले की शाम तक वह गांव में देखे गए हैं। वही मृतक के सिंहरिया गांव प्राप्त जानकारी में तुमाविक शुक्रवार को लेकिन आयुष्मान कार्ड धारक होने के कारण उनको एडमिट नहीं किया और यह भी बोला गया कि यह कार्ड प्रसाद सिंह ने मौके पर पहुंचकर लेकर दोबारा यहां नहीं आना।

रात को उर्सला से हैलट पहुंचा तो उसको डॉ अलोक के बाब तो ही देखा और कहा कि जांच करकर मुझे दोबारा दिखाओ। बीचारे तीमारदार और मरीज की जांच करवाने के लिए शुक्रवार तक शास्त्री नगर निवासी राम विलास (65) की इलाज के अभाव में भरकर तो हुए मौत हो गई। यह आयुष्मान कार्ड धारक थे। अगर उस मरीज को एमआरआई राम विलास (65) की इलाज के अभाव में भरकर तो हुए मौत हो गई। यह आयुष्मान कार्ड धारक थे। अच्छा इलाज न मिल पाने के लिए इसका इलाज हैलट में हो पाएगा यहां से ले जाओ। जब लोगों की नजर खेत की तरफ गई तो ग्रामीणों से बातचीत कर हत्या सुरेंद्र सिंहरिया गांव में रिश्ते लास पड़ी देख अवाक रह गए। को संबंध में जरूरी जानकारी अपने पुश्तेनी मकान में अकेले हासिल की। ऐसीपी की तरफ से रहते थे। जबकि पल्ली शिवकुमारी मारी गई थी। खबर मिलते ही टीम ग्रामित कर चोपन पुलिस दोनों बच्चों के साथ ही मातहतों को जल्द खुलासे के निर्देश दिये गये। पल्ली उनकी चोपन बैरियर रिश्त मकान पर को साथ ही मातहतों को जल्द खुलासे के निर्देश दिये गये। पल्ली उनके मकान में रह रही है। हर दूर्दि से मामले की शाम तक वह गांव में देखे गए हैं। वही मृतक के सिंहरिया गांव प्राप्त जानकारी में तुमाविक शुक्रवार को लेकिन आयुष्मान कार्ड धारक होने के कारण उनको एडमिट नहीं किया और यह भी बोला गया कि यह कार्ड प्रसाद सिंह ने मौके पर पहुंचकर लेकर दोबारा यहां नहीं आना।

बरेली- पूर्वांचल अज्ञात हमलाकरों ने मारी युवक को कनपटी पर गोली हुई मौत पुलिस अधीक्षक ने किया घटनास्थल का दौरा दिया जल्द खुलासे का आदेश

दैनिक बुद्ध का संदेश सोनभद्र। चोपन क्षेत्र के परिवार के लोगों तथा मौजूद सिद्धिरिया गांव निवासी

घटना का जायजा लिया और निवासी तथा पूर्व में चोपन में दो लोग मिलने आए थे। दोनों रेलवे की नौकरी करने वाले के जाने के बाद सुरेंद्र के मोबाइल व्हिडियो की पुत्री पर किसी का फोन आया जिसके शिवकुमारी से हुई बाद दो घंटे बाद वापस आने की थी मृतक के एक बात कहकर चले गये। वहीं मौके पुत्र जो इंटर में के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से तथा एक पुत्री जो वार्ता करते हुए पुलिस अधीक्षक कक्षा 6 में पढ़ती थी। अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि है और लगभग वर्दिया तिराहे के पास मिले सुरेंद्र 10 वर्षों से दोनों के शब्द पर गन शाट के निशान पती पत्नी के साथ ही इंटरव्यू के बाद से आया जाता है। और नामीन आयुष्मान कार्ड धारक थे। अभी तक की जांच में विवाह के बाद से पारिवारिक विवाह के अलावा उनसे जुड़ा कोई अन्य मामला समेत नहीं आया है। सुरेंद्र गांव में निश्चिया के साथ ही इंटरव्यू के बाद वापस आने की ताकत नहीं आयी है। एक बात यह है कि वहीं मौके पर किसी का फोन आया जिसके शिवकुमारी से हुई बाद दो घंटे बाद वापस आने की थी मृतक के एक बात कहकर चले गये। वहीं मौके पुत्र जो इंटर में के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से तथा एक पुत्री जो वार्ता करते हुए पुलिस अधीक्षक कक्षा 6 में पढ़ती थी। अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि है और लगभग वर्दिया तिराहे के पास मिले सुरेंद्र 10 वर्षों से दोनों के शब्द पर गन शाट के निशान पती पत्नी के साथ ही इंटरव्यू के बाद से आया जाता है। और नामीन आयुष्मान कार्ड धारक थे। अभी तक की जांच में विवाह के बाद से पारिवारिक विवाह के अलावा उनसे जुड़ा कोई अन्य मामला समेत नहीं आया है। सुरेंद्र गांव में निश्चिया के साथ ही इंटरव्यू के बाद वापस आने की ताकत नहीं आयी है। एक बात यह है कि वहीं मौके पर किसी का फोन आया जिसके शिवकुमारी से हुई बाद दो घंटे बाद वापस आने की थी मृतक के एक बात कहकर चले गये। वहीं मौके पुत्र जो इंटर में के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से तथा एक पुत्री जो वार्ता करते हुए पुलिस अधीक्षक कक्षा 6 में पढ़ती थी। अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि है और लगभग वर्दिया तिराहे के पास मिले सुरेंद्र 10 वर्षों से दोनों के शब्द पर गन शाट के निशान पती पत्नी के साथ ही इंटरव्यू के बाद से आया जाता है। और नामीन आयुष्मान कार्ड धारक थे। अभी तक की जांच में विवाह के बाद से पारिवारिक विवाह के अलावा उनसे जुड़ा कोई अन्य मामला समेत नहीं आया है। सुरेंद्र गांव में निश्चिया के साथ ही इंटरव्यू के बाद वापस आने की ताकत नहीं आयी है। एक बात यह है कि वहीं मौके पर किसी का फोन आया जिसके शिवकुमारी से हुई बाद दो घंटे बाद वापस आने की थी मृतक के एक बात कहकर चले गये। वहीं मौके पुत्र जो इंटर में के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से तथा एक पुत्री जो वार्ता करते हुए पुलिस अधीक्षक कक्षा 6 में पढ़ती थी। अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि है और लगभग वर्दिया तिराहे के पास मिले सुरेंद्र 10 वर्षों से दोनों के शब्द पर गन शाट के निशान पती पत्नी के साथ ही इंटरव्यू के बाद से आया जाता है। और नामीन आयुष्मान कार्ड धारक थे। अभी तक की जांच में विवाह के बाद से पारिवारिक विवाह के अलावा उनसे जुड़ा कोई अन्य मामला समेत नहीं आया है। सुरेंद्र गांव में निश्चिया के साथ ही इंटरव्यू के बाद वापस आने की ताकत नहीं आयी है। एक बात यह है कि वहीं मौके पर किसी का फोन आया जिसके शिवकुमारी से हुई बाद दो घंटे बाद वापस आने की थी मृतक के एक बात कहकर चले गये। वहीं मौके पुत्र जो इंटर में के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से तथा एक पुत्री जो वार्ता करते हुए पुलिस अधीक्षक कक्षा 6 में पढ़ती थी। अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि है और लगभग वर्दिया तिराहे के पास मिले सुरेंद्र 10 वर्षों से दोनों के शब्द पर गन शाट के निशान पती पत्नी के साथ ही इंटरव्यू के बाद से आया जाता है। और नामीन आयुष्मान कार्ड धारक थे। अभी तक की जांच में विवाह के बाद से पारिवारिक विवाह के अलावा उनसे जुड़ा कोई अन्य मामला समेत नहीं आया है। सुरेंद्र गांव में निश्चिया के साथ ही इंटरव्यू के बाद वापस आने की ताकत नहीं आयी है। एक बात यह है कि वहीं मौके पर किसी का फोन आया जिसके शिवकुमारी से हुई बाद दो घंटे बाद वापस आने की थी मृतक के एक बात कहकर चले गये। वहीं मौके पुत्र जो इंटर में के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से तथा एक पुत्री जो वार्ता करते हुए पुलिस अधीक्षक कक्षा 6 में पढ़ती थी। अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि है और लगभग वर्दिया तिराहे के पास मिले सुरेंद्र 10 वर्षों से दोनों के शब्द पर गन शाट के निशान पती पत्नी के साथ ही इंटरव्यू के बाद से आया जाता है। और नामीन आयुष्मान कार्ड धारक थे। अभी तक की जांच में विवाह के बाद से पारिवारिक विवाह के अलावा उनसे जुड़ा कोई अन्य मामला समेत नहीं आया है। सुरेंद्र गांव में निश्चिया के साथ ही इंटरव्यू के बाद वापस आने की ताकत नहीं आयी है। एक बात यह है कि वहीं मौके पर किसी का फोन आया जिसके श

आप सभी क्षेत्रवासियों को
एतत्रिता दिप्य
की हार्दिक
बधाई

आपका अपना
रवि प्रकाश मौर्य

समाजसेवी-कर्मा

आप सभी क्षेत्रवासियों को
स्पृतिव्रता दिपाल
की हार्दिक
बधाई

आपका अपना
डॉ. डी.एन. पट्टा

विभिन्न साधिकारी, जगता प्राण्यांकित स्वास्थ्या केन्द्र
कल्पना विभाग

आप सभी ग्राम पंचायत
वासियों को स्वतंत्रता दिवस
की
हार्दिक
बधाई

आपका अपना
रामानंद मौर्य
ग्राम पंचान-घौरहरा

आप सभी क्षेत्रवासियों को
स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक
बधाई

आपका अपना
आशुतोष त्रिपाठी

गाम पद्धान पतिशिधि - बहआर

ग्राम सभा झारकटा/भदौरा व क्षेत्र की समस्त हृदय प्रिय जनता, गुरुजनों
तथा छात्र-छात्राओं को 75वीं स्वतंत्रतापूर्वक के शुभ अवसर पर
हार्दिक बधाई व अनंत शुभकामनाएं।

सूर्यनाभ्युज द्वाबे

निवेदक : युवा समाज सेवी (एस.एन. द्वाबे)

ग्राम सभा झारकटा/भदौरा, विकास खण्ड- गोला, गोरखपुर

आप सभी क्षेत्रवासियों को
स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक
बधाई

आपका अपना
सुखाष मौर्य

ग्राम प्रधान प्रतिनिधि-तेन्दुहानी-गोरखपुर

आप सभी क्षेत्रवासियों
को स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक
बधाई

चन्द्रदेव पाण्डेय

ए०डी०ओ० पंचायत-ब्लाक करमा

The image is a composite for India's 75th Independence Day. It features a portrait of a doctor in the bottom left corner. In the top left, there is a stylized illustration of the Indian flag with a Ashoka Chakra in the center. The background includes a banner with the text "स्वतंत्रता दिवस" (Independence Day) in Hindi, along with the date "15th August". To the right of the banner is a large Indian medical symbol (caduceus). The text "ना जियो धर्म के नाम पर," and "ना मरो धर्म के नाम पर," is written vertically. The text "इंसानियत ही है धर्म वरन का," and "बस जियो वरन के नाम पर।" is also present. At the bottom, contact information for "Dr. Nitin Mishra BHMS" is provided, including "Mob. : 7617060709" and "9714172599". The text "श्री गोरक्ष चिकित्सालय" (Shri Goraksh Chikitsa Lay) is at the very bottom.

अशोक कुमार अग्रहरि
प्रधान प्रतिनिधि
ग्राम पंचायत बसहिया
पि.ख. बढ़नी सिद्धार्थनगर



रविन्द्र कुमार शर्मा
ग्राम प्रधान गड़सखा
पि.ख. बढ़नी, सिद्धार्थनगर



महेन्द्र प्रताप निषाद
प्रधान प्रतिनिधि

ग्राम पंचायत बसहिया, पि.ख. बढ़नी सिद्धार्थनगर

पार्वती नायर की
बोल्ड फोटोज
लगा रही है आग

आजकल साउथ एक्ट्रेस हॉटनेस के मामले में किसी से कम नहीं हैं। पार्वती नायर साउथ की फेमस मॉडल और एक्ट्रेस हैं। उन्होंने साउथ की चारों फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। पार्वती के इस्टाग्राम पर 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं जो उनकी हर फोटो को पसंद करते हैं। इन दिनों फिर उनकी कुछ बोल्ड पिक्स वायरल हो रही हैं। पार्वती के फैंस



के बीच उनके बोल्ड अवतार को काफी पसंद किया जाता रहा है। हालांकि इसके चलते उन्हें कई बार ट्रोल भी होना पड़ा है। उन्होंने बतौर मॉडल ही अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई टीवी ऐड में भी काम किया है। वह मिस कर्नाटक और मिस नेहरी क्वीन भी रह चुकी हैं। उन्होंने 2012 में फिल्म पॉर्नोस से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी।

**हिन्दी दैनिक
बुद्ध का संदेश**

समाचार पत्र

स्वतंत्रताप्राप्ति प्रकाशन एवं सुदूर भीमती पुस्तक शाला
द्वारा बुद्धा प्रिलिस, ज्योतीनगर निकट हीरो एजेंसी,
मधुकरपुर, निला-सिद्धार्थनगर-272207 3.प्र. से
गुरुवार एवं प्रकाशित।

आ-एन-आई. नं- UPHIN/2012/49458

संस्थापक:- द्वारा श्री कृष्ण शर्मा | प्रधान सम्पादक:- द्वारा शर्मा

8795951917, 9453824459

राष्ट्रीय विद्यालय का नायकोत्तर जनपद-सिद्धार्थनगर
नायालय ही मात्र होगा

ई-मेल पेपर:- www.budhakasandesh.com
E-Mail ID: budhakasandeshnews@gmail.com